

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज- दिनांक- सितम्बर 12, 2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 126 वाहनों का चालान किया गया।

***शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 24 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा 22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 107/116 सीआरपीसी में चालान माननीय न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

***पैदल गश्त अभियान*-** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त पिन्टू पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद नि0 सिसवा बाजार थाना कोठीभार के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 180/21 धारा 60(1)आबकारी अधिनियम में विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त मोतीलाल पुत्र जोखू साहनी नि0 मैनहवा थाना कोल्हुई के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 159/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त अमरजीत पुत्र गंगाराम नि0 चकदह थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 187/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त हिम्मत प्रजापति पुत्र बब्लू नि० किशुनपुर थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 89/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम मे विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा० न्यायालय किया गया।

कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त हृदेश यादव पुत्र विनोद नि० लोहरौली थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज 2. अवधेश यादव पुत्र मुसई नि० चटिया थाना ठूठीबारी के कब्जे से 225 बोरी विदेशी मटर 02 अदद पिकअप बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/21 धारा 3/11 कस्टम अधिनियम मे विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा० न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-15 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया

जनपद में दिनांक 11/12-09-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल-30 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।